संख्या– /VI-I/2006

प्रेषक,

संतोष बडोनी,
अनुसचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तरांचल,देहरादून।

संस्कृति अनुभाग देहरादून :दिनांक:२५मार्च, 2006

विषयः–श्री जगदीश चन्द्र भट्ट, स्टोरकीपर, क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई,अल्मोड़ा के चिकित्सा पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1582/स0नि0उ0/दो–65/2005–06 दिनांक 13 मार्च, 2006 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–281/VI–I/2005, दिनांक 6 अगस्त, 2005 के क्रम में लेखाशीर्षक–2205–कला एवं संस्कृति–00–103 पुरातत्व विज्ञान–03–पुरातत्व अधिष्ठान–00–27–चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मानक मद के आयोजनात्तर पक्ष में आवंटित धनराशि रू0 50.00 हजार के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 26,191/– एवं रू0 1,04,000/– पुर्नविनियोग के माध्यम से कुल रूपये 1,30,191/– आपके निर्वतन पर रखे जाने एवं उक्त धनराशि के सापेक्ष श्री जगदीश चन्द्र भट्ट, स्टोरकीपर, क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई,अल्मोड़ा के चिकित्सा पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु रूपये 1,29,229/–(रूपये एक लाख उन्तीस हजार दो सौ उन्तीस)मात्र के भुगतान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इसक प्रतिबंध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाये। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय संबंधित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाये।

3–उक्त स्वीकृत धनराशि में से चिकित्सा प्रतिपूर्ति योग्य धनराशि रूपये 1,29,229/– ही व्यय की जायेगी शेष रूपये 962/– सर्मपण होगी। किसी अन्य मद में व्यय न होगी ।

4–उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005–06 के अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक 2205–कला एवं संस्कृति –00–103 पुरातत्व विज्ञान–03–पुरातत्व अधिष्ठान–00–27– चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मानक मद के आयोजनेत्तर पक्ष के मानक मद के नामें डाला जायेगा।

5– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 पत्र संख्या–952/वित्त(व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3/2006 दिनांक 22 मार्च,2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक– यथोपरि

भवदीय,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव

पृष्ठांकन संख्या– 21 /VI-I/2006, तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल शासन।
3– आयुक्त गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, उत्तरांचल।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5– वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।
6– निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून सचिवालय।
7– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून।
8–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव

आयोजनेत्तर

(धनराशि हजार रूपये में)

धान तथा लेखाशीर्षक का	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष सरप्लस धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है।	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–1 में अवशेष कुल धनराशि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
ख्या–11 ा एवं संस्कृति त्व विज्ञान त्व अधिष्ठान 1600	1050	–	550	अनुदान संख्या–11 2205–कला एवं संस्कृति 00– 103–पुरातत्व विज्ञान 03– पुरातत्व अधिष्ठान 00– 27–चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति ~~50~~ 104	~~153~~ 154	~~1497~~ 446	वित्तीय वर्ष 2005–06 हेतु 27–चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मानक मद के आयोजनेत्तर पक्ष में रूपये 50,000=00 मात्र प्राविधानति धनराशि के सापेक्ष 26191=00 (रूपये छब्बीस हजार एक सौ इकानवे) मात्र धनराशि अवशेष है। अतः रूपये 1.03 लाख (रूपये एक लाख तीन हजार) मात्र धनराशि की पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृति की नितान्त आवश्यकता है।
योग 1600	1050	–	550	104–50	~~153~~ 154	~~1497~~ 446	–

किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 150, 155, 156 में प्राविधानों का उल्लंघन नहीं होता है।

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव।